

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 812 राँची, सोमवार,

12 कार्तिक, 1938 (श॰)

3 नवम्बर, 2017 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 3 नवम्बर, 2017

संख्या-एल॰जी॰-16/2017-120/लेज॰--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को अनुमित दे चुकीं हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

<u>झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी, लाभ और सेवा प्रदाय) अधिनियम, 2017</u> (झारखण्ड अधिनियम-20,2017)

सुशासन, लिक्षित सहायिकी, लाभ एवं सेवा जिनके लिए राज्य की संचित निधि से सम्पूर्ण व्यय किया जाता है, प्रदान करने के कारगर, पारदर्शी उपाय तथा उनसे सम्बद्ध मामलों के लिए झारखण्ड राज्य के निवासी व्यक्ति-विशेष की एक मात्र पहचान के रूप में आधार के उपयोग हेतु प्रावधान के लिए अधिनियम ।

चूँकि सुशासन, लक्षित सहायिकी, लाभ एवं सेवा जिनके लिए राज्य की संचित निधि से सम्पूर्ण व्यय किया जाता है, प्रदान करने के कारगार, पारदर्शी उपाय तथा उनसे सम्बद्ध मामलों के लिए झारखण्ड राज्य के निवासी व्यक्ति-विशेष की एक मात्र पहचान के रूप में आधार के उपयोग हेत् नियम बनाना समीचीन हो गया है, यह भारत गणतंत्र के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सहायिकी, लाभ एवं सेवा प्रदाय) अधिनियम, 2017 कहलाएगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकती है तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद किसी ऐसे उपबंध में दिया गया कोई निर्देश उस उपबंध के प्रारम्भ होने के निर्देश के रूप में माना जाएगा ।

2. परिभाषाएँ:-

- (1) जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तब तक इस अधिनियम में-
 - (क) "आधार संख्या" से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा-3 के अधीन किसी व्यक्ति-विशेष के लिए निर्गत पहचान संख्या;
 - (ख) "राज्य सरकार का अभिकरण" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकार या निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वत्वधारी एवं नियंत्रित स्थानीय निकाय एवं कोई अन्य निकाय तथा ऐसे निकाय जिनका गठन एवं प्रशासन राज्य सरकार द्वारा प्रमुख रूप में नियंत्रित हो, शामिल है;
 - (ग) "अधिप्रमाणन" से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति-विशेष से संबंधित जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना के साथ-साथ आधार संख्या को केन्द्रीय पहचान डाटा संग्रह में इसके सत्यापन के लिए दिया जाता है और यह संग्रह उसमें उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर उसकी शुद्धता या उसकी कमी को सत्यापित करता है
 - (घ)''लाभ'' से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के समूह को नगद या वस्तु के रूप में दिया गया कोई फायदा, उपहार, राहत या भुगतान तथा इसमें ऐसे अन्य फायदे भी शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएँ;
 - (इ)''बायोमेट्रिक सूचना'' से अभिप्रेत है फोटोग्राफ, अंगुलि-छाप, आइरीस स्कैन अथवा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति-विशेष के ऐसे अन्य जैविक प्रतीक;
 - (च) "केन्द्रीय अधिनियम" से अभिप्रेत है आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी, लाभ एवं सेवा प्रदाय) अधिनियमय 2016 (2016 का 18)
 - (छ) ''केन्द्रीय पहचान डाटा संग्रह'' से अभिप्रेत है एक या अधिक स्थानों में केन्द्रीकृत डाटा आधार जिसमें व्यक्ति-विशेष की स्संगत जनसांख्यिकी सूचना एवं बायोमेट्रिक

सूचना तथा उनसे संबंधित अन्य सूचनाओं के साथ-साथ आधार संख्या धारकों को निर्गत सभी आधार संख्याएँ शामिल है;

- (ज) "राज्य की संचित निधि" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की संचित निधि;
- (झ) "जनसांख्यिकी सूचना" में शामिल है केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति-विशेष के नाम, जन्म तिथि, पता एवं अन्य संगत सूचनाएँ किन्तु इनमें वंश, धर्म, जाति, जनजाति, विजाति, भाषा, हकदारी के अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं है।
- (ञ) ''पंजीयन'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित व्यक्ति-विशेष के लिए आधार संख्या निर्गत करने के प्रयोजनार्थ पंजीयन अभिकरणों द्वारा उनसे जनसांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया;
- (ट) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
- (ठ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों दवारा विहित;
- (ड) ''सेवा'' से अभिप्रेत है व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के समूह को किसी रूप में दिया गया कोई प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता तथा इसमें ऐसी अन्य सेवाएँ भी शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सके;
- (ढ) "सहायिकी" से अभिप्रेत है व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के समूह को नगद या वस्तु के रूप में दिया गया कोई सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग तथा इसमें ऐसी अन्य सहायिकी भी शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएँ;
- (2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उनके लिए क्रमशः समन्देशित है ।

3. कतिपय सहायिकी, लाभ एवं सेवा आदि प्राप्त करने के लिए आधार संख्या का प्रमाण आवश्यकः-

यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई अभिकरण ऐसे व्यक्ति-विशेष की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ जो राज्य सरकार की संचित निधि अथवा राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा गठित कोई निधि या उसके किसी भाग से सम्पूर्ण रूप में व्यय होने वाली सहायिकी, लाभ या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं उनके अधिप्रमाणन के लिए शर्त के रूप में अथवा प्रमाण के रूप में आधार संख्या देने की अथवा ऐसे व्यक्ति-विशेष के पास आधार संख्या नहीं रहने पर उनसे एतदर्थ पंजीयन हेतु आवेदन देने की अपेक्षा करती है।

परन्तु जबतक किसी व्यक्ति-विशेष को आधार संख्या नहीं मिल जाती है तबतक उसे सहायिकी, लाभ या सेवा प्रदान करने के लिए पहचान हेतु वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने का विकल्प दिया जाएगा ।

4- राज्य सरकार द्वारा स्कीमों की अधिसूचनाः-

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन माह के भीतर एवं इसके पश्चात् समय-समय पर ऐसी स्कीमों, सहायिकियों, लाभों या सेवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिनके लिए धारा-3 के अनुसार ऐसा अधिप्रमाणन या प्रमाण अपेक्षित है ।

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय- III और VI का लागू होनाः-

केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय- ॥। और VI के उपबंधइस अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन हेत् यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

6. अधिनियम का अतिरिक्त होना और किसी अन्य नियम का अल्पीकरण नहीं होना:-

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करने वाले होंगे ।

7. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण:-

इस अधिनियम या एतद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या किए जाने से आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेंगी।

8. नियम बनाने की शक्तिः-

- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
- (2) विशिष्टताया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी बात का उपबंध किया जा सकता है:-
 - (क) विभिन्न सहायिकी, लाभ, सेवा एवं अन्य प्रयोजन, जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सके, प्रदान करने या उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ आधार संख्या के उपयोग करने की रीति विनिर्दिष्ट करना;
 - (ख) कोई अन्य बात जो अपेक्षित हो अथवा नियमों को बनाए जाने वाले उपलबंधों के संबंध में अपेक्षित हो सके, विनिर्दिष्ट करना ।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के तुरन्त बाद राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब वह कुल तीस दिनों की अविध के लिए जो एक सत्र या दो या उससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों से पूरा हो सके, रखा जाएगा, और यिद उस सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें वह रखा गया था अथवा उसके तुरन्त बाद आने वाले सत्र या सत्रों में राज्य विधान मंडल किसी नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है अथवा राज्य विधान मंडल सहमत हो जाता है कि नियम बनाया ही नहीं जाए तथा इस आशय का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित कर देता है तो अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से यह नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी ही नहीं होगा, तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी या करने के लिए छोड़ी गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना होगा।

9. कठिनाई दूर करने की शक्तिः-

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अवसरानुसार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर कुछ ऐसा उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो तथा जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;
 - परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि-अवसान के पश्चात इस प्रकार का कोई आदेश नहीं किया जाएगा।
- (2) उप-धारा-(1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के तुरन्त बाद राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 3 नवम्बर, 2017

संख्या-एल॰ जी॰-16/2017-121/लेज॰-- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को अनुमत झारखण्ड आधार (लिक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी, लाभ और सेवा प्रदाय) अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

6

THE JHARKHAND AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT 2017

(JHARKHAND ACT 20 of 2017)

An Act to provide for, as a good governance measure, efficient,transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Jharkhand using Aadhaar as a sole identifier, and for matters connected therewith.

WHEREAS it is expedient to make a law to provide for, as a good governance measure, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely by way of withdrawal from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Jharkhand using Aadhaar as a sole identifier, and to provide for matters connected therewith; it is hereby enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Jharkhand Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017.
 - (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
 - (3)It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.
- 2. (1) In this Act, unless the context requires otherwise,-
- (a) "Aadhaar number" means an identification number issued to an individual under section 3 of the Central Act;
- (b) "Agency of the State Government" means any authority or body establishedor constituted by any Central or State law in the State of Jharkhand including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Governmentand includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government:
- (c) "authentication" means the process by which the Aadhaar number alongwith demographic information or biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;

- (d) "benefit" means any advantage, gift reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government, from time to time;
- (e) "biometric information" means photograph, finger print, Iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act;
- (f) "Central Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;
- (g) "Central Identities Data Repository" means a centralized database in one or more locations containing all Aadhaar numbers issued to Aadhaar number holders alongwith the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other information related thereto:
- (h) "Consolidated Fund of State" means a Consolidated Fund of the State of Jharkhand:
- (i) "demographic information" includes information relating to the name, date of birth, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlement, income or medical history;
- (j) / "enrolment" means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as provided under the Central Act;
 - (k) "Government" or "State Government" means the Government of Jharkhand;
 - (/) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individuals and includes such other services as may be notified by the State Government;
- (n) "subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as maybe notified by the State Government, from time to time.
- (2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.
- 3. The State Government or, as the case may be, any Agency of the State Government, may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from, or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund of

the State, or any fund set up by any Agency of the State Government, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or, in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment:

Provided that, till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.

- 4. The State Government shall, within a period of three months from the date of commencement of this Act, and thereafter, from time to time, notify the list of schemes, subsidies, benefit or services for which such authentication or proof is required asper section -3.
- 5. The provisions of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall *mutatis mutandis* apply to authentication under this Act.
- 6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.
- 7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer, or other employees of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.
- 8. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) specifying the manner of use of Aadhaar number for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhaar number may be used;
- (b) any other matter which is required to be, or may be, specified, or in respect of which provision is to be made by rules.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session or sessions immediately following, the state legislature agree in making any modification in any rule or state legislature agree that rule should not be made, and notify their decision to that effect in the Official Gazette, the rule shall, from the date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however,

that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

9. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।
